



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@ gmail.com

31.03.2020 तक 2 लाख किलो कैलोरी के (थर्मिक फ्लूड) थर्मोपैक के
संचालन एवं दैनिक रख-रखाव का कार्य प्रतितन कोयला खपत के
आधार पर ठेका पद्धति से करने हेतु निविदा प्रपत्र

ऑन लाईन निविदा प्राप्त करने की निर्धारित दिनांक 29.9.2018

महा प्रबंधक
(पोषण आहार)



दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com
CIN No.U01119MP19695GC001055

क्रमांक मुख्या/पो.आ./एसआरएलएम/2018/3934

दिनांक 10.09.2018

ई-निविदा (प्रथम आमंत्रण)

निगम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका फोरम अंतर्गत विभिन्न सात जिलों (देवास, धार, मण्डला, सागर, शिवपुरी, रीवा एवं होशंगाबाद) में स्थापित किए जाने वाले पूरक पोषण आहार संयंत्रों हेतु दिनांक 31.03.2020 तक के लिए निर्धारित प्रपत्र में वैध निविदाकारों से तथा निगम द्वारा निर्धारित की गई शर्तों को पूर्ण करने वाले निविदाकारों से (1) अनाज की साफ-सफाई, पिसाई, सिकाई एवं मिश्रण तक के समस्त कार्यों को प्रतिटन दर पर ठेका पद्धति से करने हेतु (2) ऑगर फिलर/कप फिलर आटोमेटिक मशीनों से पैकिंग मशीनों से पैकिंग के समस्त कार्यों को प्रतिटन दर पर ठेका पद्धति से करने हेतु (3) 2 लाख किलो कैलोरी के (थर्मिक फ्लूड) थर्मोपैक के संचालन एवं दैनिक रख-रखाव का कार्य प्रतिटन कोयला खपत के आधार पर ठेका पद्धति से करने हेतु (4) लोडिंग/अनलोडिंग का कार्य प्रतिटन के आधार पर ठेका पद्धति से करने हेतु (5) परिवहन कार्य प्रति मी.टन/प्रति किलो मीटर दर पर करने हेतु (6) हाउस कीपिंग आंतरिक (संयंत्र के आंतरिक क्षेत्रफल के आधार) हाउस कीपिंग बाहरी (संयंत्र के बाहरी के क्षेत्रफल के आधार) करने हेतु (7) सुरक्षा व्यवस्था संयंत्र के क्षेत्रफल के आधार पर करने हेतु (8) पेस्ट कंट्रोल कार्य संयंत्र के क्षेत्रफल के आधार पर करने हेतु तथा (9) LABORATORY EQUIPMENTS (10) PALLETS (11) FIRE FIGHTING EQUIPMENTS (12) SEWING MACHINES (13) VARIOUS TOOLS के क्रय हेतु निर्धारित निविदा प्रपत्र में आमंत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत शर्तों का विवरण निगम की website - www.mpagro.org तथा www.mpeproc.gov.in पर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र का क्रय online पद्धति से www.mpeproc.gov.in से दिनांक 29-09-2018 तक अपरान्ह 01.00 बजे तक किया जा सकता है, निविदा प्रपत्र इसी दिन अपरान्ह 02.00 बजे तक अपलोड किए जा सकेंगे। निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन उपरोक्त वेबसाईट पर ही अपलोड किये जाएंगे एवं इसके लिए अलग से समाचार पत्र में कोई प्रकाशन नहीं किया जाएगा।

महाप्रबंधक
(पोषण आहार)



दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
CIN No.U01119MP19695GC001055

क्रमांक मुख्या/पो.आ./एसआरएलएम/2018/3934

दिनांक 10.09.2018

ई-निविदा (प्रथम आमंत्रण)

निगम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका फोरम अतंगत विभिन्न सात जिलों (देवास, धार, मण्डला, सागर, शिवपुरी, रीवा एवं होशंगाबाद) में स्थापित किए जाने वाले पूरक पोषण आहार संयंत्रों हेतु दिनांक 31.03.2020 तक के लिए निर्धारित प्रपत्र में वैध निविदाकारों से तथा निगम द्वारा निर्धारित की गई शर्तों को पूर्ण करने वाले निविदाकारों से निम्नानुसार निविदा आमंत्रित की जाती है :-

PART I

निविदा क्रमांक	कार्य का विवरण	निविदा प्रपत्र राशि (रु. में) जीएसटी अतिरिक्त	संकल्प धनराशि (रु. में)	
			2500 मी.टन क्षमता के प्रत्येक संयंत्र हेतु	600 मी.टन क्षमता के प्रत्येक संयंत्र हेतु
01	अनाज की साफ-सफाई, पिसाई, सिकाई एवं मिश्रण तक के समस्त कार्यों को प्रतिटन दर पर ठेका पद्धति से करना	5,000	38,000	10,000
02	ऑगर फिलर/कप फिलर आटोमेटिक मशीनों से पैकिंग मशीनों से पैकिंग के समस्त कार्य प्रतिटन दर पर ठेका पद्धति से करना	5,000	47,000	12,000.00
03	2 लाख किलो कैलोरी के (थर्मिक फ्लूइड) थर्मोपैक के संचालन एवं दैनिक रख-रखाव का कार्य प्रतिटन कोयला खपत के आधार पर करना	5,000	10,000	8,000.00
04	लोडिंग का कार्य प्रतिटन के आधार पर करना	5,000	30,000	7,000.00
	अनलोडिंग का कार्य प्रतिटन के आधार पर करना			
05	परिवहन कार्य प्रति मी.टन/प्रति किलो मीटर दर पर करना	10,000	4,00,000	1,00,000.00
06	हाउस कीपिंग आंतरिक (संयंत्र के आंतरिक एवं बाहरी क्षेत्र) हेतु संयंत्र के क्षेत्रफल के आधार पर।	5,000	20,000	8,000.00
	हाउस कीपिंग बाहरी (संयंत्र के आंतरिक एवं बाहरी क्षेत्र) हेतु संयंत्र के क्षेत्रफल के आधार पर।			
07	सुरक्षा व्यवस्था संयंत्र के क्षेत्रफल के आधार पर	5,000	10,000	10,000
08	पेस्ट कंट्रोल कार्य संयंत्र के क्षेत्रफल के आधार पर	5,000	9,000	4,200

PART II

TE ND R NO	PARTICULARS	TENDER DOCUM ENTS FEE	EMD	
			2500 PLANT (EACH)	600 PLANT
			MT	MT
09	Laboratory Equipments (IV call)	12500	1,25,000	
10	Pallets	10000	75000	
11	Fire fighting Equipments	5000	50000	
12	Sewing machines	2000	5000	
13	Various types of tools	5000	50000	

उपरोक्त समस्त कार्यो हेतु अलग-अलग निविदा प्रपत्र तैयार किए गए हैं । इच्छुक निविदाकार जिस कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत करना चाहते हैं, वही निविदा प्रपत्र डाउनलोड करें । निविदा प्रपत्र का क्रय online पद्धति से www.mpeproc.gov.in से दिनांक 12.09.2018 को अपरान्ह 2.00 से 29.09.2018 को अपरान्ह 1.00 बजे तक किया जा सकता है, जो इसी दिन अपरान्ह 2.00 बजे तक अपलोड किए जा सकेंगे। डाउनलोडेड निविदा प्रपत्र इसी दिन अपरान्ह 3.00 बजे उपस्थित निविदाकार अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि (एक निविदाकार की तरफ से केवल एक) खोले जाएंगे। निविदा की विस्तृत शर्तों का विवरण निगम की website - www.mpagro.org तथा www.mpeproc.gov.in पर प्राप्त किया जा सकता है। यदि निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो वह उपरोक्त वेबसाईट पर ही अपलोड किया जाएगा एवं इसके लिए अलग से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जाएगा।

महाप्रबंधक
(पोषण आहार)



दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
☎- 0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका फोरम अंतर्गत स्व-सहायता समूह के संगठनों द्वारा विभिन्न सात जिलों (देवास, धार, मण्डला, सागर, शिवपुरी, रीवा एवं होशंगाबाद) में स्थापित किए जाने वाले पूरक पोषण आहार संयंत्रों पर 2 लाख किलो कैलोरी के थर्मोपैक के संचालन एवं दैनिक रख-रखाव का कार्य प्रतिटन कोयला खपत के आधार पर ठेका पद्धति से करने हेतु (इसे आगे चलकर थर्मो पैक संचालन कार्य कहा गया है)

निविदा प्रस्तुत करने की समय एवं तिथियों का विवरण

आन लाईन निविदा पत्र का मूल्य GST सहित	राशि रु 5,900.00 डिमांड ड्राफ्ट के रूप में संलग्न कर हार्ड कापी के साथ प्रस्तुत किया जाना है।
आन लाईन निविदा पत्र का क्रय	www.mpeproc.gov.in पर आवश्यक प्रोसेसिंग फीस का भुगतान कर दिनांक 12.09.2018 को अपरान्ह 2.00 बजे से 29.9.2018 अपरान्ह 1.00 बजे तक
संकल्प धन राशि (EMD)	2500 मी.टन क्षमता के प्रत्येक संयंत्र हेतु रु 10,000/- (रु दा हजार मात्र) 600 मी.टन क्षमता के संयंत्र हेतु रु रु 8,000/- (रु आठ हजार मात्र)
आन लाईन निविदा प्राप्त करने की निर्धारित समय सीमा	दिनांक 12.09.2018 अपरान्ह 2.00 बजे से 29.9.2018 अपरान्ह 2.00 बजे तक
प्री बिड मीटिंग	दिनांक 20.09.2018 अपरान्ह 3.00 बजे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र.राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, तृतीय तल,बीज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल में होगी ।
निविदा पत्र (हार्डकापी में)टेण्डर बॉक्स में प्रस्तुत करने की निर्धारित समय सीमा	दिनांक 29.9.2018 अपरान्ह 2.00 बजे तक
आनलाईन तकनीकी निविदा तथा हार्ड कापी खोलने की तिथि	दि 29.9.2018 अपरान्ह 3.00 बजे

योग्य पाये गये आफरकर्ताओं के वित्तीय प्रस्ताव खोले जाने की दिनांक एवं समय की जानकारी निगम के सूचना पटल एवं बेब साईट पर दी जावेगी एवं योग्य प्रदायकों को ई-मेल पर सूचित किया जावेगा।

नोट- उपरोक्त दर्शित समय एवं तिथियों में परिवर्तन होने की दशा में इस आशय की सूचना का प्रकाशन निगम की बेबसाईट www.mpagro.org तथा www.mpeproc.gov.in पर किया जावेगा। निविदाकारों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निविदा के संदर्भ में बेवसाईट समय समय पर देख कर प्रकाशित होने वाले संशोधन/ सूचनाओं के प्रति अवगत हों।

महाप्रबंधक (पोषण आहार)



दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल

☎- 0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका फोरम अंतर्गत स्व-सहायता समूह के संगठनों द्वारा विभिन्न सात जिलों (देवास, धार, मण्डला, सागर, शिवपुरी, रीवा एवं होशंगाबाद) में स्थापित किए जाने वाले पूरक पोषण आहार संयंत्रों पर 2 लाख किलो कैलोरी के थर्मोपैक के संचालन एवं दैनिक रख-रखाव का कार्य प्रतिटन कोयला खपत के आधार पर ठेका पद्धति से दिनांक 31.03.2020 तक करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में निगम द्वारा निर्धारित की गई शर्तों को पूर्ण करने वाले निविदाकारों से निम्नानुसार निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र विवरण

निविदा पत्र में कुल 21 पृष्ठ निम्नानुसार हैं:-

क्रं	विवरण	अनुसूची	पृष्ठ संख्या
1	आवेदन पत्र	अनुसूची -1	7-8
2	सामान्य शर्तें	अनुसूची -2	9-18
3	घोषणा पत्र	अनुसूची -3	19
4	वित्तीय प्रस्ताव पत्र का प्रारूप (Annexure 4)	अनुसूची -4	20
5	अनुबंध का प्रारूप	अनुसूची -5	21

निविदा पत्र में उद्धृत/उल्लेखित विभिन्न शब्दों का भावार्थ-

●	निगम	दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
●	संयंत्र	मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका फोरम अंतर्गत स्व-सहायता समूह के संगठनों द्वारा देवास, धार, मण्डला, सागर, शिवपुरी, रीवा एवं होशंगाबाद में स्थापित किए जाने वाले पूरक पोषण आहार संयंत्र
●	निविदाकर्ता	निविदाकर्ता जिनके द्वारा उक्तानुसार कार्य किये जाने हेतु निर्धारित दस्तावेज में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
●	थर्मोपैक संचालनकर्ता	निविदाकर्ता जिनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मान्य कर थर्मोपैक के संचालन कार्य करने हेतु अनुबंधित किया गया हो।
●	संकल्प धनराशि (ई.एम.डी.)	निविदा पत्र की अनुसूची -2 शर्त क्रं. 3 के अनुसार
●	धरोहर राशि (सिक्युरिटी डिपोजिट)	निविदा पत्र की अनुसूची -2 शर्त क्रं 10 के अनुसार
●	प्रबंध संचालक	दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि के प्रबंध संचालक
●	महा प्रबंधक (पोषण आहार)	दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि के महा प्रबंधक (पोषण आहार)
●	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र.राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन भोपाल
●	संयंत्र प्रभारी	म.प्र.राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्थापित पोषण आहार संयंत्रों के प्रभारी
●	विभाग	म.प्र.राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

पोषण आहार संयंत्र में 2 लाख किलो कैलोरी के (थर्मिक फ्लूड) थर्मोपैक के संचालन एवं दैनिक रख-रखाव का कार्य प्रतिटन कोयला खपत के आधार पर ठेका पद्धति से करने हेतु आवेदन प्रपत्र

प्रति,

प्रबंध संचालक,
एम.पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड
तृतीय तल पंचानन भवन,
मालवीय नगर
भोपाल ।

विषय- थर्मोपैक के संचालन कार्य करने हेतु निविदा हेतु आवेदन पत्र महोदय,

हमारे द्वारा म.प्र.राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्थापित पोषण आहार संयंत्रों में थर्मोपैक संचालन का कार्य करने हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है। हमारी फर्म का विवरण निम्नानुसार है -

क्र०	विवरण	प्रस्तुत विवरण
1	निजी कंपनी, निजी/पब्लिक लिमिटेड कंपनी/पार्टनरशिप फर्म/अन्य
2	फर्म के पत्र व्यवहार का पूर्ण पता
3	निविदा प्रस्तुत करने/हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्ति का नाम
4	दूरभाष क्रमांक मोबाईल क्र० Email
5	पैन नंबर
6	GST नंबर
7	निविदा पत्र का मूल्य GST सहित राशि रु 5,900/-	DD No Date For Rs..... Issuing Bank and Branch.....
8	संकल्प धन राशि (EMD) रु 10,000/2500 मी टन क्षमता के प्रत्येक संयंत्र हेतु एवं रु 8,000/.. होशंगाबाद संयंत्र हेतु उदाहरणार्थ यदि आपके द्वारा 2500 मी टन क्षमता के 3 संयंत्र हेतु एवं होशंगाबाद संयंत्र हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है तो आपके रु 38,000/.. की संकल्प धनराशि प्रस्तुत करना है (10000 x 3 + 8,000/..)	DD No Date For Rs..... Issuing Bank and Branch.....
9	ई.पी.एफ. तथा ई.एस.आई के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (फोटो प्रति अपलोड करे) (अनुसूची क्रमांक 02 . 01.07 अनुसार)	
10	फर्म द्वारा किसी उद्योग में किए गए थर्मोपैक के	

	संचालन कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र (न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि) (अनुसूची क्रमांक 02 . 01.04 अनुसार)	
11	फर्म का विगत तीन वर्षों (2015-16, 2016-17, 2017-18) का टर्नओवर (अनुसूची क्रमांक 02 . 01.05 अनुसार)	
12	फर्म में दिनांक 30.06.2018 को नियोजित कर्मियों, सुपरवाइजर का विवरण नाम, अनुभव वर्षों में, कंपनी जहां कार्य किया हो सहित। (अलग से प्रस्तुत करें व जानकारी स्वयं सत्यापित करें कि सूची में उल्लेखित कर्मी 30.06.18 की स्थिति में नियोजित थे सत्यापित जानकारी मूलतः हस्ताक्षर एवं सील सहित प्रस्तुत की जाए)	
13	निविदा प्रपत्र के पृष्ठ क्रमांक 1 से 21 तक के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर सील सहित की फोटो प्रति अपलोड करे। वित्तीय निविदा (पृष्ठ क्रमांक 20) की फोटो प्रति अपलोड नहीं की जाना है।	

स्थान जिनके लिये निविदा प्रस्तुत की जा रही है।

क्रं	स्थान	EMD
1	2	3
1	देवास	
2	घार	
3	मण्डला	
4	शिवपुरी	
5	रीवा	
6	सागर	
7	होशंगाबाद	
	कुल जमा ई.एम.डी.	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
नाम

नोट :-

- उपरोक्त सभी अपलोड किये गए दस्तावेजों की हार्ड कापी (ड्राफ्ट की मूल प्रति सहित) एक लिफाफे में रखे जाकर दिनांक 27.9.2018 समय अपराह्न 2 बजे तक दि. एम. पी. स्टेट एग्री इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि. पंचानन भवन, मेजेनाईन फ्लोर, मालवीय नगर, भोपाल के कार्यालय के उपलब्ध टेन्डर बाक्स में डाले जाना है।
- वित्तीय निविदा अपलोड ही की जाना है। हार्ड कापी नहीं दी जाना है।



दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
☎- 0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@ gmail.com

कार्य का स्वरूप

(A) अ. सामान्य जानकारी

01. निगम द्वारा यह निविदा राज्य आजीविका फोरम हेतु स्थापित किए जाने वाले संयंत्रों में थर्मोपैक के संचालन कार्य हेतु आमंत्रित की गई है, अतः ठेकेदार को फोरम एवं संबंधित संयंत्र के संयंत्र प्रभारी के निर्देशानुसार कार्य करना होगा। फोरम एवं संबंधित संयंत्र के संयंत्र प्रभारी द्वारा यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता की जानकारी निगम को दी जाती है तो निगम द्वारा संबंधित ठेकेदार की धरोहर राशि को जप्त कर निगम के प्रबंध संचालक द्वारा निर्धारित अवधि के लिए निगम एवं फोरम के माध्यम से काम करने से वंचित कर दिया जाएगा।
02. राज्य आजीविका फोरम जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है, के जिला शिवपुरी, देवास, धार, मण्डला, रीवा, सागर में स्थापित 2500 मी.टन क्षमता के तथा जिला होशंगाबाद में स्थापित 600 मी.टन क्षमता के पोषण आहार संयंत्रों
03. तीन राष्ट्रीय अवकाश (26 जनवरी, 15 अगस्त एवं 2 अक्टूबर) को छोड़कर सभी दिवसों में कार्य किया जाएगा। अन्य अवकाश के संबंध में संयंत्र प्रभारी एक दिवस पूर्व जानकारी देंगे।
04. स्थापित कोल थर्मोपैक के संचालन एवं रखरखाव का कार्य 8 घण्टे की तीन शिफ्टों में किये जाए
05. मेकटेक कम्पनी द्वारा उसके 2 लाख किलो केलोरी क्षमता के एमटीसीवी 200 थर्मोपैक में 60 किलो कोयले की खपत होने की जानकारी दी गई है फोरम के संयंत्र में कोयला 5 हजार किलो केलोरी का क्रय किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा संयंत्र द्वारा क्रय किए गए कायले के उचित भण्डारण की व्यवस्था की जायेगी तथा थर्मोपैक में कोयला तोल कर ही डाला जायेगा एवं प्रति शिफ्ट में कोयले की खपत रिकार्ड की जायेगी।
06. निविदाकर्ता का यह दायित्व है कि निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व समान संयंत्र में स्थापित कोल थर्मोपैक के संचालन एवं रखरखाव कार्य का निरीक्षण कर संचालन एवं रखरखाव कार्य प्रणाली से अवगत हो।

सामान्य शर्तें

1 अर्हता –

01. निविदाकर्ता निजी कंपनी /पब्लिक लिमिटेड कंपनी/पार्टनरशिप फर्म/अन्य, जो श्रम विभाग द्वारा जारी वैध लायसेंस धारक हो।
02. निविदाकर्ता के पास आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड होना आवश्यक है।
03. निविदाकर्ता के पास प्रत्येक संयंत्र में थर्मोपैक के संचालन के समस्त कार्य गुणवत्ता सुनिश्चितीकरण सहित में दक्ष कर्मी होना चाहिए।
04. निविदाकर्ता के पास थर्मोपैक के संचालन कार्य ठेका पद्धति पर करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।

05. निविदाकर्ता फर्म का विगत तीन वर्षों (2015-16,2016-17,2017-18) का टर्नओवर का चाटर्ड अकाउन्टेन्ट का प्रमाण पत्र (मूल प्रति अपलोड करे)
01. एक या एक से अधिक 2500 मी. टन क्षमता के संयंत्रों हेतु तीन वर्षों का न्यूनतम 19.00 लाख प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम 06.00 लाख
02. होशंगाबाद संयंत्र हेतु तीन वर्षों का न्यूनतम 15.00 लाख प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम 4.00 लाख)
- यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त टर्न ओवर की दी गई सीमा के आधार पर निविदाकार निविदा प्रस्तुत करे एवं जिस स्थान पर कार्य करना चाहते हैं, उस स्थान के समक्ष ही अनुसूची 7 में दरें प्रस्तुत करें । यदि यह पाया जाता है कि टर्नओवर की दी गई सीमा के आधार पर निविदा प्रस्तुत नहीं की गई है तो ऐसी निविदा को विचार क्षेत्र में न लेते हुए निरस्त कर दिया जाएगा । ।
06. निविदाकर्ता जी.एस.टी. नंबर धारक हो ।
07. ई.पी.एफ. तथा ई.एस.आई के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट धारक हो । (यदि सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो तो निविदाकर्ता द्वारा स्वयं सील एवं हस्ताक्षर सहित पत्र प्रस्तुत किया जाए कि वह पैकिंग के समस्त कार्य गुणवत्ता सुनिश्चितीकरण सहित नियमानुसार स्वीकृत किए जाने की दशा में उपरोक्त प्रमाणपत्र कार्य स्वीकृत करने की दिनांक से 10 दिवस में प्रस्तुत करेगा)
- क्रमांक 1 से 7 तक के स्व प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें तथा क्रमांक 7 का यदि आवश्यक हो तो वचन पत्र प्रस्तुत करें ।

1 (अ) आनलाईन निविदा पत्र की प्राप्ति-

- 1.1 निविदा पत्र निगम की वेब साईट www.mpagro.gov.in पर अवलोकन हेतु दिनांक 12.09.2018 अपरान्ह 2.00 बजे से उपलब्ध रहेगा। निविदाकार जिनके पास वैध Class III Digital Signature है, वे निविदा पत्र का क्रय www.mpeproc.gov.in पर आवश्यक प्रोसेसिंग फीस का भुगतान कर दिनांक 12.09.2018 अपरान्ह 2.00 बजे से 27.9.2018 अपरान्ह 1.00 बजे तक किया जा सकता है।
- 1.2 निविदा में भाग लेने वाले निविदाकर्ताओं को निर्धारित निविदा दस्तावेज आन लाईन आवश्यक प्रोसेसिंग फीस जमा कर क्रय किया जाना अनिवार्य है। दस्तावेज के मूल्य राशि रु 5000+GST = 5900 का डिमांड ड्राफ्ट **दी एम पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड** के नाम से भोपाल देय हो निविदा के साथ हार्डकापी में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- 1.3 एक निविदाकर्ता से एक ही निविदा स्वीकार की जावेगी । निविदाकर्ता द्वारा निगम में एक से अधिक फर्म या अन्य नामों से भाग लिये जाने की जानकारी निगम को प्राप्त होने की दशा में आवेदक द्वारा इस तरह प्रस्तुत सभी निविदा अमान्य की जावेगी एवं संबंधित निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत संकल्प धनराशि जप्त की जावेगी ।
- 1.4 निविदा प्रस्तुत करने का आशय है कि निविदाकर्ता ने निगम द्वारा जारी निविदा पत्र को भलीभांति पढ़ लिया है तथा वे कार्य के स्वरूप/आवश्यकताओं से भलीभांति अवगत है तथा निगम की निर्धारित शर्तों पर कार्य करने हेतु सहमत है। सशर्त आफर किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होंगे।

- 2.(ब) **प्री बिड मीटिंग**- निविदा के संबंध में दिनांक 20.09.2018 को अपरान्ह 3.00 बजे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र.राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, तृतीय तल, बीज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल में होगी के कक्ष में आयोजित होगी । संभावित निविदाकार

निविदा के संबंध में अपनी आपत्तियां / सुझाव दिनांक 20.09.2018 को अपराह्न 02.00 बजे से पूर्व प्रस्तुत कर सकते हैं। आपत्तियों/सुझावों का निराकरण/समाधान कर तदानुसार आवश्यक संशोधन निविदा में किये जा सकेंगे जो निविदा पत्र का हिस्सा कहलाएंगे। प्राप्त सभी सुझावों/ आपत्तियों के संदर्भ में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र.राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन /प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा। प्री बिड मीटिंग के उपरांत निविदा की शर्तों के संबंध में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जावेगी, अतः यह आवश्यक है कि संभावित निविदाकार निविदापत्र को ध्यान पूर्वक पढ़ कर शर्तों एवं कार्य के स्वरूप से भली भांती परिचित हो कर आश्वस्त हो लें जिससे बाद में विवाद / संदेह की स्थिति न रहे।

3. संकल्प धन राशि (EMD) –

3.1 निविदा के साथ संकल्प धनराशि का डिमांड ड्राफ्ट जो “दी एम पी स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड” के नाम से भोपाल देय हो, निम्नानुसार संलग्न करना अनिवार्य है। बिना संकल्प धनराशि के कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

क्र०	संयंत्र की संख्या	EMD
1	2500 मी.टन क्षमता का एक	10,000.00
2	2500 मी.टन क्षमता का दो	20,000.00
3	2500 मी.टन क्षमता का तीन	30,000.00
4	2500 मी.टन क्षमता का चार	40,000.00
5	2500 मी.टन क्षमता का पांच	50,000.00
6	2500 मी.टन क्षमता का छः	60,000.00
7	600 मी.टन क्षमता का एक	8,000.00

गणना हेतु अनुसूची क्रमांक-1 का क्रमांक – 8 देखें।

3.2 संकल्प धनराशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :-

1. निगम द्वारा निविदाकर्ता की निविदा को स्वीकृत/अमान्य/निरस्त करने के पूर्व अपनी निविदा वापस लिये जाने की दशा में।
2. निविदा के साथ गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने की दशा में।
3. निविदाकर्ता द्वारा ऐसी कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छवि को हानि पहुंचे।
4. निविदाकर्ता द्वारा निविदा मान्य होने पर निर्धारित समय सीमा में अनुबंध नहीं किये जाने की दशा में।
5. निविदा पत्र की शर्त क्रं 2.3 में वर्णित दशा में।

अयोग्य पाये गये निविदाकर्ताओं की संकल्प धनराशि बिना ब्याज के वापस की जावेगी।

4. निविदा प्रस्तुत किया जाना –

- 4.1 आन लाईन निविदा दिनांक 29.9.2018 अपरान्ह 2.00 बजे तक बेब www.mpeproc.gov.in पर अपलोड किए जा सकेंगे।
- 4.2 निविदाकर्ता के लिये यह अनिवार्य है की वे निर्धारित समय सीमा में निविदा एवं आवश्यक दस्तावेज तथा वित्तीय आफर www.mpeproc.gov.in पर अपलोड कर लें। mpeproc की बेबसाईट में तकनीकी खराबी/ सर्वर की समस्या या अन्य किसी तकनीकी कारणों से समय पर निविदा अपलोड नहीं होने की दशा में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा अतः निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय का इंतजार न करते हुये इसके पूर्व निविदा अपलोड करें जिससे समस्या यदि कोई हो तो, का समय पर निराकरण किया जा सके।
- 4.3 निम्नानुसार दस्तावेज बेबसाईट www.mpeproc.gov.in पर अपलोड किये जाना आवश्यक है—

1. PAN तथा GST No. की स्वप्रमाणित प्रति।
2. शर्त कं 3.1 के अनुसार संकल्प का डिमांड ड्राफ्ट की स्कैन की गई प्रति
3. शर्त कं 1.4 के अनुसार अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र।
4. शर्त कं 1.5 के अनुसार टर्न ओवर संबंधी सी ए द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
5. अनुसूची 1 के अनुसार निविदाकर्ता का विवरण/आवेदन पत्र
6. अनुसूची क्रमांक-3 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में रुपये 500.00 के स्टाम्प पेपर पर सहमति की स्कैन की गई प्रति।
7. निविदाकर्ता फर्म की और से निविदा/दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने हेतु अन्य को दिये गये अधिकार पत्र की स्कैन की गई प्रति (प्रोपराईटर होने की दशा में आवश्यक नहीं)।
8. अनुसूची कं 5 में अनुबंध प्रारूप
9. अनुसूची कं 4 में वित्तीय आफर

उपरोक्त कं 1 से 8 तक के दस्तावेज (वित्तीय आफर अनुसूची कं 4 छोड़कर—वित्तीय ऑफर को अलग से अपलोड किया जाना है। योग्य पाए गए निविदाकारों के ही वित्तीय ऑफर खोले जाएंगे) विधिवत स्कैन करते हुये JPG यर PDF format में, न्यूनतम 100 DPI में अपलोड किया जाना आवश्यक है। निविदाकार द्वारा सुनिश्चित कर लिया जावे कि स्कैन किये गये दस्तावेज पठनीय हों।

- 4.4 निविदा पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों की हार्ड कापी (वित्तीय आफर अनुसूची कं 4 छोड़कर) दिनांक 29.9.2018 को अपरान्ह 2.00 बजे तक निगम के भोपाल स्थित मुख्यालय में रखे टेंडर बॉक्स में प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् विलंब से प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जावेगा चाहे ऐसी निविदाएं डाक द्वारा विलंब से प्राप्त हुई हों। प्रस्तुत किये जाने वाले लिफाफे में “2 लाख किलो कैलोरी के (थर्मिक फ्लूड) थर्मोपैक के संचालन कार्य हेतु निविदा – तकनीकी विवरण” लिखते हुये आवेदक का नाम एवं पता लिखते हुये प्रस्तुत किया जाना है। लिफाफा में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण –

1. शर्त कं 2.2 के अनुसार निविदापत्र के मूल्य की राशि रूपये 5900/- का डिमांड ड्राफ्ट जो दी एम पी स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से भोपाल देय हो।
2. शर्त कं 3.1 के अनुसार संकल्प राशि का डिमांड ड्राफ्ट दी एम पी स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से भोपाल देय हो।
3. अनुसूची क्रमांक-3 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में रूपये 500.00 के स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र।
4. PAN तथा GST No. की स्वप्रमाणित प्रति।
5. निविदाकर्ता फर्म की ओर से निविदा/दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने हेतु अन्य को दिये गये अधिकार पत्र की मूलप्रति (प्रोपराईटर होने की दशा में आवश्यक नहीं)।
6. निविदा दस्तावेज सभी पृष्ठों पर सील एवं हस्ताक्षर सहित (पृष्ठ कं. 1 से 25 तक)।
7. शर्त कं 1.4 के अनुसार अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र।
8. शर्त कं 1.5 के अनुसार टर्न ओवर संबंधी सी ए द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
9. अनुसूची 1 के अनुसार निविदाकर्ता का विवरण/आवेदन पत्र

अनुसूची-5 **अनुबंध प्रारूप** पर केवल हस्ताक्षर करने हैं, सफल निविदाकार को इसी प्रारूप में रूपये 1000.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध प्रस्तुत करना है।

लिफाफा के ऊपर स्पष्ट शब्दों में **"2 लाख किलो कैलोरी के (थर्मिक पलूड) थर्मोपैक के संचालन कार्य हेतु निविदा तकनीकी विवरण"** लिखा जावे।

5 निविदा खोला जाना-

- 5.1 आन लाईन प्राप्त निविदा का तकनीकी ऑफर तथा टेंडर बॉक्स में प्राप्त लिफाफा दिनांक 29.9.2018 को अपरान्ह 3.00 बजे निगम मुख्यालय के कम्प्यूटर कक्ष में अधिकृत समिति द्वारा उपस्थित निविदाकर्ताओं अथवा उनके मनोनीत प्रतिनिधि (एक निविदाकार से केवल एक) के समक्ष खोले जावेंगे।
- 5.2 ऑनलाईन/लिफाफा में हार्ड कॉपी में प्रस्तुत दस्तावेज पर अधिकृत समिति की अनुशंसाओं के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।
- 5.3 सभी दस्तावेज ऑन लाईन प्रस्तुत किये जाना हैं तथा शर्त कं 4.4 के अनुसार हार्ड कॉपी भी प्रस्तुत की जाना है। आनलाईन प्रस्तुत दस्तावेज में कोई कमी होने अथवा अपठनीय होने की स्थिति में हार्ड कॉपी में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।
- 5.4 तकनीकी आधार पर योग्य पाये गये निविदाकर्ताओं के वित्तीय प्रस्ताव निविदाकर्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोले जावेंगे। वित्तीय प्रस्ताव खोलने की तिथि एवं समय की जानकारी निगम की वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी व योग्य पाये गये निविदाकर्ताओं को ई-मेल द्वारा दी जा सकेगी।

6 दर प्रस्तुत करना -

- 6.1 थर्मो पैक संचालन के कार्य हेतु प्रति मी. टन के आधार पर दरें दी जाना हैं। दरों में GST शामिल नहीं होगा, इसे अलग से दर्शाया जाये।
- 6.2 दर अनुसूची क्रमांक 4 में प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। प्रस्तुत की गई दरों में सभी व्यय एवं वर्तमान में लागू सभी कर सम्मिलित रहेंगे।
- 6.3 प्रस्तुत की गई दरें निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक से 90 दिवस के लिये प्रभावशील रहेंगी अर्थात् इस अवधि में निगम द्वारा प्रस्तुत दर स्वीकार की जा सकेगी। यदि किसी निविदाकर्ता द्वारा दरें प्रस्तुत करने के पश्चात उक्त अवधि में अपनी दरें वापस ली जाती हैं या कार्य से मना किया जाता है तो निविदा के साथ प्रस्तुत संकल्प धन राशि को जप्त कर लिया जाएगा।
- 6.4 दरें अंकों एवं शब्दों में लिखा जाना आवश्यक है। प्रस्तुत दर प्रस्ताव में अंकों एवं शब्दों में अंतर होने की दशा में न्यूनतम दर को मान्य किया जायेगा।
- 6.5 प्राप्त दरों पर किसी भी प्रकार की दर चर्चा नहीं की जाएगी अतः निविदाकर्ताओं से अपेक्षा है कि वे कार्य हेतु अपनी न्यूनतम दर दें। निगम के प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वे समिति द्वारा अनुसंशित दर का प्रति प्रस्ताव न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले दर निविदाकार को दें अथवा सभी वैध निविदाकर्ताओं को e-bid प्रोसेस में पुनः निर्धारित दिनांक एवं समय तक दर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करें (यह प्रक्रिया SNAP BIDDING कहलाई जाएगी)

7 निविदाकर्ता का चयन तथा अनुबंध –

- 7.1 तकनीकी आधार पर योग्य पाए गए निविदाकर्ताओं के ऑन लाईन प्राप्त वित्तीय ऑफर खोले जाएंगे।
- 7.2 निगम स्तर पर गठित समिति द्वारा प्राप्त दरों के तुलनात्मक अध्ययन कर दरों के निर्धारण हेतु अनुसंशाएं प्रबंध संचालक को प्रस्तुत की जाएंगी। प्रबंध संचालक द्वारा कड़िका क्र० 6.5 के आधार पर नियमानुसार निर्णय लेते हुये कार्य हेतु दरों का निर्धारण किया जावेगा।
- 7.3 उक्तानुसार कड़िका 7.2 के आधार पर निर्धारित दर प्राप्त न्यूनतम दर से कम होने की दशा में प्रथम न्यूनतम दर देने वाले निविदाकर्ता को सूचित कर उनकी सहमति होने पर निगम द्वारा इस आशय की सूचना निविदाकर्ता को देते हुये 10 दिवस में निगम के साथ अनुसूची-7 अनुसार राशि रु 1000/- के गैर न्यायिक स्टाम्प पर स्वयं के व्यय पर अनुबंध हेतु सूचित किया जावेगा।
- 7.4 निर्धारित समय सीमा में अनुबंध निष्पादित नहीं किये जाने की दशा में यह मान्य करते हुये कि निविदाकर्ता कार्य करने का इच्छुक नहीं है, उसकी निविदा को निरस्त कर संकल्प धनराशि जप्त कर ली जाएगी एवं/अथवा एक निश्चित समय सीमा के लिए निगम/संयंत्र हेतु कार्य करने से वंचित कर दिया जाएगा।
- 7.5 उक्तानुसार कड़िका क्र० 7.4 की दशा में निगम के प्रबंध संचालक निर्धारित दर/प्रथम न्यूनतम दर का प्रति प्रस्ताव द्वितीय न्यूनतम दर देने वाले योग्य निविदाकर्ता को देते हुये अनुबंध कर कार्य का आवंटन कर सकेंगे। द्वितीय न्यूनतम दर देने वाले योग्य निविदाकर्ता द्वारा सहमत न होने की दशा में प्राप्त निविदाओं को निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की जायेगी।
- 7.6 चूंकि समस्त थर्मो पैक संचालन कार्य एक निश्चित समय सीमा में निष्पादित करना आवश्यक है, अतः निगम प्राप्त न्यूनतम दर पर द्वितीय न्यूनतम दर देने

वाले योग्य निविदाकर्ता से उनकी सहमति के आधार पर अनुबंध निष्पादित कर सकेगा तथा प्रथम न्यूनतम दर देने वाले निविदाकार द्वारा 2 दिवस में कार्य न करने पर ऐसे अनुबंधित निविदाकर्ता से कार्य करवा सकेगा अथवा शर्त क्रं 10.3 अनुसार कार्यवाही कर सकेगा।

8 अनुबंध –

1. अनुबंध के पश्चात अनुबंधित निविदाकर्ता **थर्मोपेक संचालनकर्ता** कहलाएंगे।
2. निविदाकार की दरें स्वीकृत होने की स्थिति में **अनुसूची-7** अनुसार अनुबंध प्रस्तुत करने हेतु प्रदायक को 15 दिवस की समय सीमा दी जावेगी। थर्मो पैक संचालन सेवा प्रदाता द्वारा नियत समय सीमा में अनुबंध प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में निगम थर्मो पैक संचालन सेवा प्रदाता द्वारा जमा की धरोहर राशि जप्त करने की कार्यवाही करेगा, इसके लिये पृथक से **थर्मोपेक संचालनकर्ता** को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक नहीं है।
3. अनुबंधित दरें दिनांक 31.3.2020 एवं आगे की अवधि तक प्रभावशील रहेगी अर्थात् नवीन निविदा के अंतर्गत नवीन दरों के अनुबंध तक प्रभावशील रहेंगी।
4. अनुबंध होने के उपरांत **थर्मोपेक संचालनकर्ता** द्वारा थर्मोपेक संचालन का कार्य किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा। यदि **थर्मोपेक संचालनकर्ता** द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही की जाती है एवं निगम के संज्ञान में आती है तो निगम अनुबंध को निरस्त कर धरोहर राशि जप्त करने का अधिकारी रहेगा।

9 धरोहर राशि–

- 9.1 अनुबंध उपरांत निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत संकल्प धनराशि धरोहर राशि के रूप में समायोजित की जावेगी।
- 9.2 धरोहर राशि अनुबंध की प्रभावशीलता की अवधि में निगम के पास जमा रहेगी। अनुबंध अवधि समाप्ति पर किसी प्रकार के विवादास्पद स्थिति न होने की दशा में धरोहर राशि बिना किसी ब्याज के परिवहनकर्ता को वापस की जावेगी।

9.3 धरोहर राशि निम्न परिस्थितियों में जप्त की जा सकती है–

- 9.3.1 थर्मोपेक संचालक द्वारा निर्धारित अनुबंध अवधि से पूर्व कार्य बंद किये जाने की दशा में।
- 9.3.2 थर्मोपेक संचालक द्वारा संतोषजनक रूप से कार्य नहीं किये जाने एवं निगम द्वारा इस आधार पर उनके अनुबंध को निरस्त किये जाने की दशा में।
- 9.3.3 निविदा पत्र की निर्धारित शर्तों के उल्लंघन किये जाने की दशा में।

10. कार्य का स्वरूप तथा दायित्व –

पैकिंग कार्यों से संबंधित मशीनों एवं उपकरणों का चालन दैनिक रखरखाव, खराब होने पर तत्काल दुरस्ती, माह की आदेशित प्रदाय मात्रा का उत्पादन कार्य समाप्त होने पर मासिक संधारण तथा दायित्व –

1. निविदाकर्ता का थर्मोपैक संचालनकर्ता के रूप में नियमानुसार चयन कर अनुबंध के उपरान्त स्थापित 2 लाख किलो केलोरी के कोल थर्मोपैक को उपकरणों सहित (चिमनी, थर्मिक फ्लुयिड पम्प, थर्मिक फ्लुयिड सहित पाईप लाईन इत्यादि) चालू हालत में सौंपा जायेगा। इसके उपरान्त का थर्मोपैक संचालन ठेकेदार द्वारा इस कार्य हेतु उसके द्वारा नियत व्यक्तियों से कराया जाएगा, एवं उसके संचालन तथा रखरखाव का पूर्ण दायित्व ठेकेदार का रहेगा। संयंत्र प्रभारी द्वारा आवश्यक स्पेयर पार्ट्स तथा अन्य कन्ज्यूमेबिल उपलब्ध कराए जाएंगे। थर्मोपैक एवं उपकरणों के समुचित चालन एवं रखरखाव के लिए मुख्य कार्य बिन्दु अनुसूची-6 पर संलग्न है।
2. उक्तानुसार समस्त कार्य को संपादित करने हेतु पर्याप्त संख्या में आपरेटर / लेबर की व्यवस्था थर्मोपैक संचालनकर्ता द्वारा की जाना होगी जिससे स्थापित कोल थर्मोपैक के संचालन एवं रखरखाव कार्य निर्बाध रूप से सम्पन्न हो सके।
3. थर्मोपैक संचालनकर्ता की असावधानी से यदि स्थापित कोल थर्मोपैक बन्द रहता है तथा तो फोरम द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था से इस कार्य को कराया जाएगा तथा वैकल्पिक व्यवस्था पर व्यय होने वाली अतिरिक्त राशि ठेकेदार से वसूल की जाएगी। यदि ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मचारियों से स्थापित कोल थर्मोपैक का कार्य समुचित रूप से नहीं हो पाता है तो ठेकेदार को कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी होगी जिसके लिए कोई राशि देय नहीं होगी।
4. कोल थर्मोपैक के परिचालन से कार्य के दौरान यदि उसमें कोई टूटफूट होती है। कोल थर्मोपैक क्षतिग्रस्त होता है तो इसकी सूचना तत्काल थर्मोपैक संचालनकर्ता द्वारा संयंत्र प्रभारी को दी जायेगी। संयंत्र प्रभारी यह निर्णय लेंगे की टूटफूट थर्मोपैक संचालनकर्ता की असावधानी से हुई है या सामान्य रूप से हुई है। यदि थर्मोपैक संचालनकर्ता की असावधानी से कोल थर्मोपैक तथा उसके अन्य उपकरणों में कोई टूटफूट होती है तो उसके सुधार पर होने वाले व्यय की वसूली संबंधित थर्मोपैक संचालनकर्ता से की जायेगी।
5. यदि संयंत्र प्रभारी को महसूस होता है कि थर्मोपैक संचालनकर्ता द्वारा नियोजित व्यक्ति / व्यक्तियों से संयंत्र में कार्य कराना फोरम के हित में नहीं है तो थर्मोपैक संचालनकर्ता को उन्हें तत्काल हटाकर उनके स्थान पर अन्य प्रशिक्षित व्यक्तियों को नियोजित करना होगा।
6. अनुबंध अवधि में फोरम के संयंत्र में उत्पादन बंद होने पर या उत्पादन में कमी होने की दशा में ठेकेदार को स्थापना / लेबर पेमेन्ट संबंधी किसी भी हानि का उत्तरदायित्व फोरम का नहीं होगा।
7. थर्मोपैक संचालनकर्ता का दायित्व होगा की वह कोल थर्मोपैक एवं उसके अन्य उपकरणों का उचित प्रकार से रखरखाव करे एवं संयंत्र प्रभारी को इससे अवगत कराते रहे तथा उनसे निरीक्षण कराते रहे।
8. थर्मिक फ्लुयिड के इनलेट एवं आउटलेट के निर्धारित तापमान को बरकरार रखने के लिए थर्मोपैक संचालनकर्ता जिम्मेदार रहेंगे। उनका कर्तव्य है कि वह समय-समय पर थर्मोपैक तथा उसके उपकरणों का निरीक्षण करते रहे एवं उसकी प्रविष्टी रजिस्टर में करते रहे।
9. थर्मोपैक संचालनकर्ता को शासकीय श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। उसके द्वारा कोल थर्मोपैक कार्य हेतु नियोजित आपरेटर/लेबरों को ईपीएफ, ईएसआई का निर्धारित अंशदान भुगतान कर नियोजित आपरेटर/लेबरों से उनका अंशदान प्राप्त कर संबंधित विभागों में जमा करा कर उसकी रसीद इत्यादि संयंत्र

- प्रभारी को प्रस्तुत करना होगी। इसके लिए ठेकेदार को कोई अतिरिक्त भुगतान फोरम द्वारा नहीं किया जायेगा।
10. यदि थर्मोपैक संचालनकर्ता द्वारा श्रम अधिनियमों में एवं लागू अन्य अधिनियमों का पालन नहीं किया जाता है एवं संबंधित विभागों द्वारा उस पर कार्यवाही की जाती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा फोरम द्वारा देय राशि में से विभागों को देय राशि काटी जा कर संबंधित विभाग को भुगतान की जायेगी, जिस पर ठेकेदार को कोई आपत्ति लेने का अधिकार नहीं होगा।
 11. थर्मोपैक संचालनकर्ता द्वारा नियोजित कर्मचारियों की सुरक्षा तथा देन दारियों का सम्पूर्ण दायित्व ठेकेदार का होगा। किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर या अन्य स्थिति में ठेकेदार द्वारा नियोजित किए गए आपरेटर / लेबरों द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के किसी भी क्लेम के विरुद्ध भुगतान का सम्पूर्ण दायित्व ठेकेदार का रहेगा।
 12. थर्मोपैक संचालनकर्ता द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में फोरम के नियोजन में नहीं माने जायेंगे तथा ऐसे व्यक्तियों के नियमानुसार सभी प्रकार के दायित्वों के लिए ठेकेदार सम्पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
 13. थर्मोपैक संचालनकर्ता का दायित्व है कि वह शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन के आधार पर भुगतान उसके द्वारा नियोजित आपरेटरों / लेबरों को करें। किसी भी विवाद / शासन के नियमों के उल्लंघन की दशा में उत्पन्न वैधानिक स्थिति के लिए फोरम उत्तरदायी नहीं होगा।
 14. थर्मोपैक संचालनकर्ता द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के कार्यों/गलतियों के कारण या ठेकेदार के कार्यों/गलतियों के कारण फोरम को हानि होती है तो उसकी भरपाई ठेकेदार द्वारा की जाएगी।
 15. थर्मोपैक संचालनकर्ता अपने दायित्वों को पूरा करने दौरान प्राप्त किसी भी जानकारी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रगटीकरण नहीं करेगा तथा हमेशा उसे गोपनीय रखेगा।
 16. ठेके की अवधि की समाप्ति के पश्चात ठेकेदार संयंत्र से प्राप्त सभी सामग्रियां उसी स्थिति में जिसमें उसे प्राप्त हुई हैं, संयंत्र को वापिस करेगा। किसी भी कमीबेशी/खराब सामग्री की राशि ठेकेदार से वसूल की जाएगी।
 17. थर्मोपैक संचालनकर्ता निम्न के संबंध में फोरम के पक्ष में बीमा कराएगा एवं उसे कार्य अवधि में लागू रखेगा:—
 - कार्य के निष्पादन के दौरान होने वाली तीसरी पार्टी के नुकसान या संपत्ति को हुए नुकसान से उत्पन्न दावा।
 - कार्य के निष्पादन के दौरान ठेकेदार द्वारा काम पर लगाए गए कामगार के कारण हुए नुकसान/क्षति से उत्पन्न दावा।
 - लागू पीएफ/श्रम कानूनों, ईएसआई, विनियमों आदि का अनुपालन न किए जाने के कारण उत्पन्न कोई दावा।
 18. थर्मोपैक संचालनकर्ता द्वारा पूर्ण कोल थर्मोपैक एवं उसके अन्य उपकरणों हेतु नियोजित व्यक्तियों की सूची संयंत्र प्रभारी को उपलब्ध कराई जाएगी।
 19. थर्मोपैक संचालनकर्ता द्वारा पूर्ण कोल थर्मोपैक एवं उसके अन्य उपकरणों के कार्य में नियोजित किए गए कर्मचारी, ठेकेदार के ही कर्मचारी होंगे और ऐसे कर्मचारियों के संबंध में फोरम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही वे किसी भी प्रकार से फोरम के कर्मचारी माने जाएंगे।
11. **भुगतान—**

- 11.1 थर्मोपेक संचालनकर्ता सेवा प्रदाता द्वारा प्रत्येक माह अनुबंधित दर अनुसार विधिवत तीन प्रतियों में देयक जिसमें GST नम्बर एवं GST की राशि का स्पष्ट उल्लेख संयंत्र प्रभारी को प्रस्तुत किये जावेंगे।
- 11.2 देयक प्राप्त होने पर सामान्यतः 15 दिवस में भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
- 11.3 अपूर्ण देयकों के भुगतान में विलंब का उत्तरदायित्व थर्मोपेक संचालनकर्ता का रहेगा, इस आधार पर थर्मोपेक संचालनकर्ता का कार्य नहीं रोका जायेगा।
- 11.4 किसी भी प्रकार की कटौती का निर्णय होने की दशा में थर्मोपेक संचालनकर्ता के देयकों से आवश्यक राशि की कटौती संयंत्र प्रभारी द्वारा की जावेगी।
12. किसी भी निविदा/प्राप्त सभी निविदाओं को पूर्णतः/अंशतः स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक को होगा। उनके द्वारा लिया गया निर्णय बंधनकारी होकर मान्य करना होगा। इस संबंध में निविदाकर्ता को कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
13. निगम के प्रबंध संचालक निविदा की किसी भी शर्त में आंशिक/पूर्ण परिवर्तन/संशोधन/निरस्त करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।
- 14- Force majeure clause लागू रहेंगे जिसका निर्धारण करने हेतु निगम के प्रबंध संचालक अधिकृत रहेंगे।
15. विवाद की दशा में प्रकरण सर्वप्रथम संयंत्र प्रभारी को प्रस्तुत किया जायेगा। उनके द्वारा लिये गये निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, को प्रस्तुत किया जायेगा जो आर्बिट्रेटर के रूप में अपना निर्णय देंगे। आर्बिट्रेटर के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में न्याय क्षेत्र भोपाल जिले के लिये सक्षम न्यायालय होगा।

महाप्रबंधक (पोषण आहार)



दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
☎- 0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagro_bpl@airtelmail.in

थर्मोपैक संचालन का कार्य करने हेतु घोषणा पत्र

मैंमेसर्सकी ओर से जो निगम द्वारा आमंत्रित निविदा में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हूँ । निगम की निविदा में उल्लेखित शर्तों के अनुसार पोषण आहार संयंत्र/संयंत्रों में थर्मोपैक संचालन का कार्य पर करने हेतु सहमत हूँ ।

एम. पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (निगम) द्वारा हमारे प्रस्ताव को मान्य किये जाने की दशा में आदेशानुसार अनुबंध की समय सीमा में निर्धारित शर्तों पर कार्य करने हेतु मैं/हम सहमत हैं । हम निविदा की सभी शर्तों से सहमत हैं एवं तदानुसार कार्य करेंगे । यदि अनुबंध उपरांत निगम द्वारा दिये कार्य में किसी प्रकार की शिकायत आती है अथवा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होने से संयंत्र को अथवा उसके हितग्राहियों को हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति निगम हमारे द्वारा जमा की जा रही धरोहर राशि एवं संयंत्र प्रभारी हमारे बिलों से कर सकता है ।

हमारी फर्म किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है तथा हमें न ही कभी प्रदाय के लिये दंडित किया गया है । इस संबंध में कोई भी कानूनी विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है ।

संकल्प धन राशि रु प्रस्तुत की जा रही है, जो हमारा ऑफर मान्य होने की दशा में धरोहर राशि के रूप में निगम के पास जमा रहेगी ।

हमारे द्वारा निविदा की सभी नियम एवं शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया गया है एवं संयंत्र का निरीक्षण कर कार्य को भलीभांति समझ लिया है। हम तदानुसार सभी शर्तों पर पूर्ण रूप से सहमत हैं ।

दिनांक :

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

गवाह

..... (हस्ताक्षर)

.....

नाम एवं पता

नोट : राशि रूपये 500.00 के स्टाम्प पेपर पर मान्य ।

**THE M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION
LIMITED**

FINANCIAL BID

**FOR RUNNING AND OPERATION OF THERMIC FLUID HEATER - COAL
FIRED - CAPACITY 2 LAC KCAL/KR ON PER M.T COAL CONSUMPTION
BASIS**

The RATE is to be quoted in the proforma given below through online (i.e., the price bid is to be uploaded through e-portal). The rates should be quoted for ONE METRIC TON COAL CONSUMPTION BASIS for works as mentioned at Sr. No. A and 10 of Annexure 2

Name of the Bidder'
Address
.....

SR	PLACE	RATE PER M.T. (COAL CONSUMPTION)		
		RATE	GST	TOTAL
1	2	3	4	5(3+4)
1	DEWAS			
2	DHAR			
3	MANDLA			
4	SHIVPURI			
5	REWA			
6	SAGAR			
7	HOSHANGABAD			

Note: Rates mentioned in column no 3 will be considered for comparison purpose.

Signature of the Bidder along with seal

:: अनुबंध ::

यह अनुबंध आज दिनांक को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित शासकीय उपक्रम है जिसे आगे "निगम" कहा जावेगा एवं मेसर्स जिन्हें आगे "थर्मोपैक संचालनकर्ता" कहा जावेगा, के बीच निष्पादित किया गया है।

यह कि निगम द्वारा समाचार पत्र में निविदा प्रकाशित कर विभिन्न स्थानों पर स्थापित संयंत्रों पर 2 लाख किलो कैलोरी के (थर्मिक प्लूड) थर्मोपैक के संचालन एवं दैनिक रख-रखाव का कार्य प्रतितन कोयला खपत के आधार पर ठेका पद्धति से करने हेतु "थर्मोपैक संचालन" का कार्य करने हेतु दिनांक को निविदा आमंत्रित की गई थी। थर्मोपैक संचालक द्वारा निविदा प्रपत्र की सभी शर्तों को मान्य करते हुए निविदा में भाग लिया गया है। निविदा प्रपत्र की समस्त शर्तें अनुबंध का हिस्सा है।

निगम द्वारा पत्र क्रमांक दिनांक से परिवहनकर्ता के ऑफर को मान्य करते हुए अनुबंध करने बाबत कार्यवाही की गई है।

निम्नानुसार दस्तावेज/दस्तावेजों में उल्लेखित शर्तें एवं नियम अनुबंध का हिस्सा होंगे :-

1. निविदा प्रपत्र में उल्लेखित सभी शर्तें।
2. **थर्मोपैक संचालनकर्ता** का सहमति पत्र
3. **थर्मोपैक संचालनकर्ता** द्वारा प्रस्तुत निविदा व अन्य जानकारियां।

उक्तानुसार दस्तावेजों में उल्लेखित नियम व शर्तें अनुबंध का हिस्सा रहेंगे। अनुबंध के संबंध में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम और मान्य रहेगा।

उक्तानुसार विवरण के आधार पर दोनों पक्षों के मध्य अनुबंध उल्लेखित दिनांक को संपादित किया जाता है।

महाप्रबंधक (पोषण आहार)

गवाह :

1.

2.

थर्मोपैक संचालनकर्ता

1.

2.

(राशि रु 1000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित)